Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 125-2026/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, AUGUST 18, 2026 (SRAVANA 27, 1948 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

आदेश

दिनांक 18 अगस्त, 2026

No. 9/64/2026–4C–II.— हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 277–क के साथ पठित धारा 70 की उप–धारा (1) के खण्ड (xv) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, आदेश संख्या 14/2/2011–3C–II, दिनांक 9 मार्च, 2011, अधिसूचना संख्या 14/2/2015–3C–II, दिनांक 11 मार्च, 2015 तथा आदेश संख्या 14/11/2015–3C–II, दिनांक 22 जनवरी, 2016 के अधिक्रमण में हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य के सभी नगरपालिका/नगरपरिषद क्षेत्रों के लिए जलापूर्ति एवं सीवरेज से संबंधित कार्यों, कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों को जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग को सौंपते हैं तथा यह भी आदेश करते हैं कि हरियाणा राज्य के नगरपालिका/नगरपरिषद क्षेत्रों में निम्नलिखित फीस प्रभारित की जाएगी, अर्थात्:–

क्रम संख्या	उपभोक्ताओं का प्रवर्ग	जल दर	
		मासिक खपत (किलोलीटर)	दर (रुपए में)
1	2	3	4
1.	**घरेलू (मीटर–युक्त जलापूर्ति)**	10 किलोलीटर तक	3/– रुपए प्रति किलोलीटर (500 वर्ग गज तक के प्लॉट साइज वाले तथा मीटर युक्त कनेक्शन रखने वाले परिवारों पर कोई प्रभार लागू नहीं होगा।)
		10 किलोलीटर से अधिक तथा 20 किलोलीटर तक	6/– रुपए प्रति किलोलीटर
		20 किलोलीटर से अधिक तथा 30 किलोलीटर तक	9.50/–रुपए प्रति किलोलीटर
		30 किलोलीटर से अधिक	12/–रुपए प्रति किलोलीटर

2.	**घरेलू (बिना मीटर जलापूर्ति)**	50 वर्ग मीटर तक के प्लॉट साइज हेतु	175/–रुपए प्रतिमास
		50 वर्ग मीटर से अधिक तथा 100 वर्ग मीटर तक के प्लॉट साइज हेतु।	350/–रुपए प्रतिमास
		100 वर्ग मीटर से अधिक तथा 200 वर्ग मीटर तक के प्लॉट साइज हेतु।	870/– रुपए प्रतिमास
		200 वर्ग मीटर से अधिक के प्लॉट साइज हेतु, प्रत्येक 100 वर्ग मीटर की वृद्धि पर 700/–रुपए अतिरिक्त प्रभार।	
3.	**घरेलू समूह आवास सोसाइटी (मीटर युक्त जलापूर्ति)**	पहले 20 किलोलीटर के लिए	6/– रुपए प्रति किलोलीटर
		20 किलोलीटर से अधिक के लिए	12/– रुपए प्रति किलोलीटर
	घरेलू समूह आवास सोसाइटी (बिना मीटर जलापूर्ति)	अनुमति नहीं *	
4.	**संस्थाओं / औद्योगिक/ वाणिज्यिक में जलापूर्ति (मीटर युक्त जलापूर्ति)**	25 किलोलीटर तक	20/– रुपए प्रति किलोलीटर
		25 किलोलीटर से अधिक और 50 किलोलीटर तक	25/– रुपए प्रति किलोलीटर
		50 किलोलीटर से अधिक और 100 किलोलीटर तक	30/– रुपए प्रति किलोलीटर
		100 किलोलीटर से अधिक	35/– रुपए प्रति किलोलीटर
	संस्थाओं / औद्योगिक/ वाणिज्यिक में जलापूर्ति (बिना मीटर जलापूर्ति)	अनुमति नहीं*	
5.	**सीवरेज फीस/सेवाएं**		
क	**घरेलू तथा समूह आवास सोसाइटियों में सीवरेज प्रभार**	जल बिल का 25%	
ख	**संस्थागत/ वाणिज्यिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों में सीवरेज प्रभार**	जल बिल का 25%	
6.	**कनेक्शन फीस (एक बार, अप्रतिदेय)**		
	उपभोक्ता का प्रवर्ग	**कनेक्शन का प्रकार**	**प्रस्तावित फीस (रुपए में)**
(क)	**घरेलू**	नया जलापूर्ति कनेक्शन	1000–/रुपए प्रति कनेक्शन
		नया सीवर कनेक्शन	500–/रुपए प्रति कनेक्शन
(ख)	**घरेलू समूह आवास सोसाइटी**	नया जलापूर्ति कनेक्शन	5000–/रुपए प्रति कनेक्शन
		नया सीवर कनेक्शन	5000–/रुपए प्रति कनेक्शन
(ग)	**औद्योगिक/ वाणिज्यिक / संस्थागत उपभोक्ता**	नया जलापूर्ति कनेक्शन	5000–/रुपए प्रति कनेक्शन
		नया सीवर कनेक्शन	5000–/रुपए प्रति कनेक्शन

टिप्पण :—

1. दरों में प्रति वर्ष पूर्ववर्ती वर्ष की लागू दरों पर पांच प्रतिशत (5%) की वार्षिक वृद्धि की जाएगी। मीटर युक्त घरेलू आपूर्ति हेतु उपर्युक्त दर स्लैब, वृद्धिशील खपत आधार पर लागू होती हैं, अर्थात् प्रत्येक स्लैब की दर केवल उस स्लैब के अंतर्गत खपत किए गए जल की मात्रा पर ही लागू होगी न कि संपूर्ण खपत पर।
   (क) इस प्रकार प्राप्त बढ़ी हुई दरों को 5/– रुपए तक की दरों के लिए आगामी उच्चतर 20 पैसे स्लैब में पूर्णांकित किया जाएगा;
   (ख) इस प्रकार प्राप्त बढ़ी हुई दरों को 5/–रुपए से अधिक तथा 10/–रुपए तक की दरों के लिए आगामी उच्चतर 50 पैसे स्लैब में पूर्णांकित किया जाएगा;
   (ग) इस प्रकार प्राप्त बढ़ी हुई दरों को 10/– रुपए से अधिक की दरों के लिए आगामी उच्चतर एक रुपए स्लैब में पूर्णांकित किया जाएगा।
2. 500 वर्ग गज तक के प्लॉट साइज वाले परिवारों के लिए प्रति मास 10 किलोलीटर तक की निःशुल्क जल सुविधा केवल मीटर युक्त कनेक्शनों पर ही लागू होगी।
3. बढ़ी हुई दरें प्रति वर्ष प्रथम जनवरी (अर्थात् कैलेंडर वर्ष) से लागू होंगी। सभी मामलों में बिलिंग चक्र प्रथम जनवरी से द्विमासिक होगा।
4. यदि घरेलू कनेक्शन का दुरुपयोग, वाणिज्यिक/औद्योगिक/संस्थागत प्रयोजन हेतु किया जाना पाया जाता है, तो उसे तत्काल प्रभाव से काट दिया जाएगा तथा चूककर्ता पर 500/– रुपए की शास्ति अधिरोपित की जाएगी।
5. यदि जल मीटर खराब हो जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी को आवेदन देकर उसे ठीक करवाना उपभोक्ता का उत्तरदायित्व होगा। नोटिस जारी होने की तिथि को मीटर के "खराब" होने की आधिकारिक तिथि माना जाएगा। उस अवधि के दौरान उपभोक्ता से पिछले तीन मास के बिलों के औसत के आधार पर प्रभार वसूला जाएगा।
6. यदि नोटिस की तिथि से दो मास से अधिक अवधि तक मीटर खराब रहता है, तो जलापूर्ति को "बिना मीटर" माना जाएगा तथा तदनुसार संगत प्रभार उद्गृहीत किए जाएंगे। यदि बिना मीटर आपूर्ति की अनुमति नहीं है, तो जल कनेक्शन काट दिया जाएगा।

परिभाषाएं:—

1. **"किलोलीटर (के.एल.)"** से अभिप्राय है, एक किलोलीटर, जो 1000 (एक हजार) लीटर जल के बराबर है;
2. **"घरेलू उपभोक्ता"** में ऐसे उपभोक्ता शामिल हैं, जो किसी ऐसे भवन में निवास करते हैं, जिसमें आवासीय प्रयोजनों हेतु सोने तथा रहने की व्यवस्था तथा भोजन पकाने की सुविधा उपलब्ध हो और इसमें एक अथवा एक से अधिक पारिवारिक निवास, आवासीय अपार्टमेंट तथा ऐसे भवन के अधिभोगियों द्वारा प्रयुक्त गैरेज भी शामिल हैं;
3. **"समूह आवास उपभोक्ता"** से अभिप्राय है, ऐसा उपभोक्ता, जो आवासीय प्रयोजन हेतु फ्लैटों के रूप में डिजाइन तथा विकसित भवन में अथवा समूह आवास से संबद्ध किसी भवन में निवास करता है;
4. **"संस्थागत उपभोक्ता"** में ऐसे उपभोक्ता शामिल हैं, जो किसी ऐसे भवन का उपयोग करते हैं/स्वामी हैं, जो केवल किसी विद्यालय, महाविद्यालय, प्रशिक्षण/अनुसंधान संस्थान, व्यावसायिक संस्थान तथा विश्वविद्यालय के लिए प्रयुक्त किये जाते हो, जिसमें परिसर में निवास हेतु आवश्यक अमले के आवास तथा ऐसी शैक्षणिक संस्था के परिसर में उससे संबद्ध छात्रावास के रूप में प्रयुक्त भवन भी शामिल हैं। सरकार, अर्ध–सरकारी संगठन अथवा पंजीकृत न्यास/सोसाइटी द्वारा निर्मित तथा शारीरिक अथवा मानसिक बीमारी, रोग या दुर्बलता से पीड़ित व्यक्तियों के चिकित्सा अथवा अन्य उपचार और देखभाल, अनाथों, दिव्यांगजनों, परित्यक्त महिलाओं, बच्चों तथा शिशुओं, स्वास्थ्यलाभ कर रहे व्यक्तियों, निराश्रित अथवा वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल हेतु तथा सामान्यतः सोने की व्यवस्था प्रदान करने वाले दंडात्मक अथवा सुधारात्मक निरोध, जहां निवासियों की स्वतंत्रता सीमित हो, हेतु प्रयुक्त भवन भी इसमें शामिल हैं। इसमें सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, देशभक्तिपूर्ण तथा संबद्ध गतिविधियों हेतु सभागार अथवा परिसर, धर्मशाला, अस्पताल, सेनेटोरियम, हॉस्पिस, सभा भवन, सिटी हॉल, टाउन हॉल, प्रदर्शनी भवन, संग्रहालय, पूजा स्थल, अभिरक्षा तथा दांडिक संस्थाएं जैसे जेल, कारागार, सरकारी कार्यालय, सचिवालय, सड़क अथवा रेल अथवा वायु अथवा समुद्री अथवा अन्य सार्वजनिक परिवहन स्टेशन आदि भी शामिल होंगे;
5. **"औद्योगिक उपभोक्ता"** में ऐसे उपभोक्ता शामिल हैं, जो किसी ऐसे भवन अथवा उसके किसी भाग का उपयोग करते हैं/स्वामी हैं, जिसमें उत्पादों अथवा सामग्री का निर्माण, संयोजन अथवा प्रसंस्करण किया जाता है, जैसा कि हरियाणा भवन संहिता, 2017 में उल्लिखित है, हरियाणा सरकार का असेंबली संयंत्र, कोल्ड स्टोरेज, प्रयोगशाला, विद्युत संयंत्र, रिफाइनरी, गैस संयंत्र, मिल, डेयरी तथा फैक्टरी इत्यादि;

6. **"वाणिज्यिक उपभोक्ता"** में ऐसे उपभोक्ता शामिल हैं, जो किसी ऐसे भवन, परिसर अथवा उसके किसी भाग का उपयोग करते हैं/स्वामी हैं, जो थोक अथवा फुटकर वस्तुओं या माल के प्रदर्शन और विक्रय हेतु दुकानों, स्टोरों अथवा बाजार के रूप में प्रयुक्त हो, जिसमें कार्यालय, रेस्तरां, बैंक्वेट हॉल, होटल, मोटल, रिजॉर्ट, ढाबा, बोर्डिंग हाउस, गेस्ट हाउस, मनोरंजन पार्क, कार्यालय प्रतिष्ठान तथा उसी भवन में स्थित उससे संबद्ध सेवा सुविधाएं शामिल हैं। इसमें सॉफ्टवेयर विकास गतिविधियों तथा सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं और/अथवा सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी विनिर्माण हेतु भवन भी शामिल है।

अन्य फीस/प्रभारः

1. मीटर युक्त कनेक्शनों के लिए, खपत की मात्रा पर ध्यान दिए बिना, वाणिज्यिक/संस्थागत हेतु 500/– रुपए (पांच सौ रुपए) प्रति कनेक्शन तथा औद्योगिक इकाइयों हेतु 1000/–रुपए (एक हजार रुपए) की दर से न्यूनतम मासिक बिल प्रभारित किया जाएगा।
2. नगरपालिका/नगरपरिषद क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले गांवों में जलापूर्ति कनेक्शन हेतु घरेलू/सामूहिक आवास समिति/वाणिज्यिक/औद्योगिक जल कनेक्शनों की जल और सीवरेज दरें नगरपालिका/नगरपरिषद क्षेत्र हेतु लागू दरों के समान ही वसूल की जाएंगी।
3. घरेलू उपयोग हेतु 10 मिलीमीटर व्यास से अधिक की फैरूल वाला कोई जल कनेक्शन अनुमत नहीं होगा। यदि फैरूल का आकार 10 मिलीमीटर से अधिक पाया जाता है, तो जल कनेक्शन काट दिया जाएगा तथा चूककर्ता पर 500/–रुपए (पॉच सौ रुपए) प्रति कनेक्शन की शास्ति अधिरोपित की जाएगी। सामूहिक आवास समिति/संस्थागत/वाणिज्यिक/औद्योगिक कनेक्शनों के मामले में, संबंधित प्राधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार 10 मिलीमीटर व्यास से अधिक की फैरूल की अनुमति दी जा सकती है।
4. घरेलू कनेक्शनों हेतु क्रमशः 100/– रुपए (एक सौ रुपए) तथा सामूहिक आवास समिति/संस्थागत/वाणिज्यिक/औद्योगिक कनेक्शनों हेतु 200/– रुपए (दो सौ रुपए) की दर से मीटर परीक्षण तथा सीलिंग प्रभार प्रभारित किए जाएंगे।
5. यदि कनेक्शन के प्रकार में घरेलू से वाणिज्यिक/औद्योगिक में परिवर्तन किया जाता है, तो जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के संबंधित उप–मंडल अभियंता अथवा नगरपालिका/नगरपरिषद प्रधिकारियों द्वारा कनेक्शन को नए प्रवर्ग में परिवर्तित किया जाएगा। अतिरिक्त फीस (अर्थात् घरेलू एवं वाणिज्यिक/औद्योगिक फीस का अंतर) आगामी बिल में प्रभारित की जाएगी।
6. यदि जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग अथवा नगर पालिका/नगरपरिषद प्राधिकारियों द्वारा कोई अनधिकृत/अवैध जल अथवा सीवर कनेक्शन पाया जाता है, तो उसे तत्काल काट दिया जाएगा तथा उपभोक्ताओं पर 500/– रूपये की शास्ति अधिरोपित की जाएगी। ऐसे डिफॉल्ट कनेक्शनों को केवल नए कनेक्शन हेतु यथा लागू आवश्यक फीस सहित शास्ति की पूरी राशि जमा करने के पश्चात् ही बहाल किया जाएगा।

अन्य निबन्धन तथा शर्तें :–

1. अपशिष्ट जल प्रभार, उन सभी क्षेत्रों में उद्गृहीत किये जाएंगे, जहां सीवरेज प्रणाली उपलब्ध है, चाहे उपभोक्ता ने सीवर कनेक्शन लिया हो अथवा नहीं।
2. बिना मीटर के किसी भी नए घरेलू कनेक्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
3. जल तथा सीवरेज उपयोगकर्ता फीस, उपभोक्ताओं द्वारा बिल जारी होने की तिथि से तीस दिन के भीतर भुगतान किए जाएंगे।
4. यदि जल तथा सीवरेज उपयोगकर्ता फीस की राशि नियत तिथि के भीतर जमा नहीं की जाती है, तो प्रथम पन्द्रह दिन के लिए चालू बिल पर 10% (दस प्रतिशत) की दर से अधिभार/शास्ति उद्गृहीत की जाएगी। इसके पश्चात, यदि देय राशि तीन मास के भीतर जमा नहीं की जाती है, तो 50% (पचास प्रतिशत) की दर से तथा यदि देय राशि छह मास के भीतर जमा नहीं की जाती है तो 100% (सौ प्रतिशत) की दर से अधिभार/शास्ति उद्गृहीत की जाएगी और कनेक्शन तत्काल काट दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, 1000/–रुपए (एक हजार रुपए) प्रति कनेक्शन की दर से डिस्कनेक्शन फीस प्रभारित की जाएगी। समस्त बकाया राशि संपत्ति कर बिल में जोड़ दी जाएगी।
5. विभाग द्वारा केवल भूतल स्तर पर ही जल की आपूर्ति की जाएगी। जल आपूर्ति क्षमता बढ़ाने हेतु जल आपूर्ति लाइन पर सीधे लगाए गए विद्युत पंप/बूस्टर की किसी भी उपभोक्ता को अनुमति नहीं होगी। जहां कहीं भी जल आपूर्ति लाइन पर सीधे लगे विद्युत पंप/बूस्टर पाए जाएंगे, वहां 500/–रुपए (पॉच सौ रुपए) की शास्ति अधिरोपित की जाएगी। संबंधित प्राधिकारियों द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार के माध्यम से समस्त उपभोक्ताओं को यह निर्देशित किया जाएगा कि जल आपूर्ति क्षमता बढ़ाने हेतु जल आपूर्ति लाइन पर सीधे लगाए गए विद्युत पंप/बूस्टर जब्त कर लिए जाएंगे तथा चूककर्ता उपभोक्ता की आपूर्ति तत्काल काट दी जाएगी।

6. यदि आवासीय क्षेत्रों में भी अधिभोगी द्वारा कोई संबंधित गतिविधि संचालित की जा रही है, तो जल आपूर्ति अथवा सीवर कनेक्शन पर, संस्थागत, वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक दरें जो उचित समझी जाए, प्रभारित की जाएंगी। तथापि, जल आपूर्ति अथवा सीवर कनेक्शन पर वाणिज्यिक, संस्थागत अथवा औद्योगिक दरें उद्गृहीत किए जाने मात्र से अधिभोगी को किसी भी अन्य सरकारी अभिकरण अथवा विभाग द्वारा उसे वाणिज्यिक, संस्थागत अथवा औद्योगिक परिसर के रूप में माने जाने का लाभ प्राप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

7. जल/सीवरेज बिल के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में, उपभोक्ता को विवादित राशि के 50% (पचास प्रतिशत) का भुगतान आवेदन के साथ करते हुए, विवाद निवारण हेतु संबंधित कार्यकारी अभियंता से संपर्क करना होगा। 50% (पचास प्रतिशत) राशि जमा करने के प्रमाण के बिना दिया गया आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। कार्यकारी अभियंता, आवेदक को सुनवाई का सम्यक् अवसर प्रदान करने के पश्चात, तीस दिन की अवधि के भीतर अपना निर्णय सूचित करेंगे।

8. उपभोक्ता, कार्यकारी अभियंता द्वारा विवाद निवारण संबंधी आदेश जारी होने की तिथि से तीस दिन के भीतर, संबंधित अधीक्षण अभियंता के समक्ष अपील दायर कर सकता है, बशर्ते कि उपभोक्ता ने विवादित राशि के 50% (पचास प्रतिशत) का भुगतान किया हो। अधीक्षण अभियंता का निर्णय अंतिम होगा तथा दोनों पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

9. जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग/हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण/हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम विभिन्न नगर निगमों/परिषदों एंव समितियों के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति, सीवरेज तथा बरसाती जल प्रणाली के परिचालन तथा रखरखाव का कार्य करते रहेंगे, सिवाय उन क्षेत्रों के जहां जलापूर्ति, सीवरेज एंव बरसाती जल प्रणाली के परिचालन तथा रखरखाव का कार्य संबंधित नगरपालिका/नगरपरिषद द्वारा किया जा रहा है।

10. यदि विभाग द्वारा कोई अस्वच्छ कनेक्शन पाया जाता है, तो उसे बिना कोई सूचना दिए तत्काल काट दिया जाएगा तथा उपभोक्ता द्वारा आवश्यक सुधार किए जाने के पश्चात् ही उसे बहाल किया जाएगा और ऐसे मामलों में 500/–रुपए (पाँच सौ रुपए) की फीस जुर्माने अथवा शास्ति के रूप में प्रभारित की जाएगी।

11. गृह जल कनेक्शन, यथास्थिति, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग अथवा नगरपालिका/नगरपरिषद प्राधिकारियों के अमले द्वारा स्वयं अपने स्तर पर स्थल पर जारी किए जाएंगे अथवा 100% मीटरिंग तथा स्वीकृत फैरूल आकार सुनिश्चित करने हेतु जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग/ नगरपालिका/नगरपरिषद प्राधिकारियों द्वारा पंजीकृत प्लंबरों के माध्यम से जारी किए जाएंगे। संबंधित प्राधिकारियों द्वारा पंजीकृत प्लंबरों की सूची, प्लंबर द्वारा ली जाने वाली फीस सहित, अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। कनेक्शन बनाने हेतु प्रयुक्त होने वाली समस्त सामग्री तथा श्रम की व्यवस्था उपभोक्ता द्वारा अलग से की जाएगी।

12. संस्थागत/औद्योगिक/वाणिज्यिक हेतु जल कनेक्शन केवल पानी पीने, भोजन पकाने, स्नान करने, बर्तन एवं घर, शौचालय की सफाई करने तथा कपड़े धोने आदि हेतु ही अनुमत हैं, किसी अन्य प्रक्रिया हेतु नहीं।

13. निजी जल कनेक्शन केवल उन्हीं क्षेत्रों में दिए जाएंगे जहां वितरण प्रणाली उपलब्ध है तथा पर्याप्त पेयजल उपलब्ध है। जलापूर्ति प्रणाली की राइजिंग मेन से किसी भी जल कनेक्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

14. लगाए जाने वाले मीटर आईपी 68 विनिर्देश, आईएसआई चिह्नित अथवा राज्य सरकार/नगरपालिका/नगरपरिषद प्राधिकारियों द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट के अनुसार होने चाहिए।

15. यदि किसी मकान की मंजिलों का स्वामित्व अलग–अलग है तथा विभिन्न मंजिलों हेतु पृथक विद्युत कनेक्शन उपलब्ध हैं, तो प्रत्येक मंजिल हेतु जल कनेक्शन भी अलग–अलग प्रदान किए जाने चाहिए।

16. उद्योग को सीवर कनेक्शन दिए जाने की स्थिति में, उपभोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि सीवरेज प्रणाली में छोड़ा गया बहिःस्राव हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नवीनतम निर्धारित मानकों को पूरा करता हो। किसी भी औद्योगिक इकाई को सीवरेज प्रणाली में औद्योगिक अपशिष्ट छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। चूक के मामले में, इसे अवैध गतिविधि मानते हुए सीवर कनेक्शन काट दिया जाएगा तथा नगरपालिका अधिनियमों तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम 29) के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

17. उपचारित जल के पुनः उपयोग को बढ़ावा देने हेतु समूह आवास सोसाइटियों के लिए द्वि–प्लंबिंग प्रणाली अपनाए जाने की संस्तुति की जाती है।

18. सभी प्रकार के परिसरों हेतु, उपयोग के प्रकार पर ध्यान दिए बिना, जल केवल भूतल स्तर तक ही आपूर्ति किया जाएगा।

19. गैर–सरकारी संगठनों अथवा किसी अन्य निजी संस्था द्वारा स्थापित सार्वजनिक उपयोग हेतु वाटर कूलर/प्याऊ की स्थापना पर कोई भी प्रभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा, बशर्ते ऐसी सुविधाएं जनता को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएं।

टिप्पण:–

जल फीस पुनरीक्षण संबंधी आदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से छह मास के बाद लागू होगा।

अशोक कुमार मीणा,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Order

The 18th August, 2026

No. 9/64/2026-4C-II.— In exercise of the powers conferred under clause (xv) of sub-section (1) of section 70 read with section 277-A of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973) and in supersession of Haryana Government Urban Local Bodies Department order No. 14/2/2011-3C-II, dated the 9th March, 2011, Notification No. 14/2/2015-3C-II, dated the 11th March, 2015 and order No. 14/11/2015-3C-II, dated the 22nd January, 2016, the Governor of Haryana hereby entrust the functions, duties and responsibilities relating to water supply and sewerage to the Public Health Engineering Department for all municipal areas in the State of Haryana and also orders that the following fees shall be charged in the Municipal areas of the State of Haryana, namely :-

Serial Number	**Categories of Consumers**	**Water charges**	
		Monthly consumption (Kilolitre)	**Rate**
1	**2**	**3**	**4**
1.	**Domestic (Metered water supply)**	Up to 10 KL	₹3/- per KL (No charges shall be applicable for families owning plot sizes up to 500 sq. yards and having metered connections.)
		Above 10 KL and upto 20 KL	₹6/- per KL
		Above 20 KL and upto 30 KL	₹9.50/- per KL
		Above 30 KL	₹12/- per KL
2.	**Domestic (Unmetered water supply)**	For plot size upto 50 Sqm	₹ 175/- per month
		For plot size above 50 Sqm upto 100 Sqm.	₹ 350/- per month
		For plot size above 100 Sqm upto 200 Sqm.	₹ 870/- per month
		For plot size above 200 Sqm, additional charges of ₹ 700/- for increase in plot size of every 100 Sqm.	

3.	**Domestic Group Housing Societies (Metered water supply)**	For 1st 20 KL	₹ 6/- per KL
		Above 20 KL	₹ 12/-per KL
	Domestic Group Housing Societies (Unmetered water supply)	Not allowed *	
4.	**Water supply in Institutions/ Industrial/ Commercial (Metered water supply)**	Up to 25 KL	₹20/- per KL
		Above 25 KL and upto 50 KL	₹25/- per KL
		Above 50 KL and upto 100 KL	₹30/- per KL
		Above 100 KL	₹35/- per KL
	Water supply in Institutions/ Industrial/ Commercial (Unmetered water supply)	Not allowed *	
5.	**Sewerage charges/Services**		
A	**Sewerage charges in domestic and Group Housing Societies**	25% of water bills	
B	**Sewerage charges in institutional/ commercial & industrial areas**	25% of water bills	
6.	**Connection Fee** (one-time, Non-refundable)		
	Categories of Consumers	**Type of connection**	**charges**
(a)	**Domestic**	New water supply connection	₹1000/- per connection
		New Sewer connection	₹500/- per connection
(b)	**Domestic Group Housing Societies**	New water supply connection	₹5000/- per connection
		New Sewer connection	₹5000/- per connection
(c)	**Industrial/ Commercial/ Institutional consumer**	New water supply connection	₹5000/- per connection
		New Sewer connection	₹5000/- per connection

Note:-

1. Rates shall be increased at the rate of five percent (5%) annually from the applicable rate in the preceding year. The aforesaid tariff slabs for metered domestic supply are applied on an incremental consumption basis, i.e., each slab rate applies only to the quantity of water consumed within that slab and not to the entire consumption.

   (a) The increased rates so obtained shall be rounded off to next higher 20 paisa slab for rates upto ₹5/-,

(b) The increased rates so obtained shall be rounded off to next higher 50 paisa slab for rates above ₹5/- and upto ₹10/,

(c) The increased rates so obtained shall be rounded off to next higher one rupee slab for rates above ₹10/-.

2. The free water benefits of up to 10 KL per month for families with plot sizes up to 500 sq. yards shall be applicable only to metered connections.

3. The increased rates shall be applicable from 1st January every year (i.e., Calendar year). Billing cycle in all cases shall be bimonthly starting from 1st January.

4. In case, domestic connection is found being misused as commercial/industrial /institutional, the same shall be disconnected with immediate effect and a penalty of ₹ 500/- shall be imposed on the defaulter.

5. In case the water meter goes out of order, it shall be the consumer's responsibility to restore it by submitting an application to the competent authority. The date of issuance of the notice shall be treated as the official date of the meter being "out of order." The consumer shall be charged the average of last three months bills during that period.

6. If the meter remains out of order for more than two months from the date of notice, water supply shall be treated as "unmetered," and corresponding charges shall be levied accordingly. If unmetered supply is not permissible, the water supply connection shall be disconnected.

Definitions:-

1. **"KL (Kilolitre)"**- means one Kilolitre, which is equivalent to 1000 (one thousand) litres of water;

2. **"Domestic Consumers"**- includes consumers residing in a building in which sleeping and living accommodation is provided for residential purposes, with cooking facilities and includes one or more family dwellings, residential apartments and garages used by occupants of such building;

3. **"Group Housing Consumers"**- means a consumer residing in building designed and developed in the form of flats for residential purpose or any building ancillary to group housing;

4. **"Institutional Consumer"**- includes consumers using/owner of a building being exclusively used for a school, college, training/research institute, vocational institute & university including quarters for essential staff required to reside in the premises, and building used as a hostel captive to such educational institution in its campus. A building constructed by government, semi-government organization or registered trust/society and used for medical or other treatment and care for persons suffering from physical or mental illness, disease or infirmity, care of orphans, differently-abled persons, abandoned women, children and infants, convalescents, destitute or aged persons and for penal or correctional detention with restricted liberty of the inmates ordinarily providing sleeping accommodation. It shall also include an auditorium or complex for cultural, social, religious, patriotic and allied activities or for an hospice, assembly halls, city halls, town halls, exhibition halls, museums, places of worship, dharamshala, hospital, sanatoria, custodial and penal institutions such as jail, prison, government office, secretariat, road or railway or air or sea or other public transportation station, etc;

5. **"Industrial Consumer"**- includes consumers using/owner of a building or part thereof wherein products or material are fabricated, assembled or processed, such as The Haryana Building Code, 2017, Haryana Government assembly plant, cold storage, laboratory, power plant, refinery, gas plant, mill, dairy and factory etc;

6. **"Commercial Consumer"-** includes consumers using/owner of a building or complex or part thereof used as shops, stores or market for display and sale of wholesale and/or retail goods or merchandise, including Office, restaurant, banquet hall, hotel, motel, resort, dhaba, boarding house, guest house, amusement park, office establishments and service facilities incidental thereto and located in the same building. Includes building for software development activities, and IT enabled services and/or IT related manufacturing;

Other fees/ charges:

1. Minimum monthly bill at the rate of five hundred rupees (₹500/-) per connection for commercial/ institutional and at the rate of one thousand rupees (₹1000/-) for industrial units irrespective of the consumption for metered connections shall be charged.

2. For the water supply connection in the villages falling under the Municipal areas, the water and sewerage rates of domestic/GHS/commercial/industrial water connections shall be charged at the same rates as applicable for the municipal area.

3. No water connection with ferrule more than 10 mm dia. for domestic use shall be permissible. In case ferrule size is found to be more than 10 mm, water supply connection shall be disconnected and penalty of five hundred rupees (₹500/-) per connection be imposed on the defaulter. In case of GHS/institutional/commercial/industrial connections, ferrule more than 10 mm dia. may be allowed by the concerned authority as per requirement.

4. Meter testing and sealing charges shall be charged at the rate of one hundred rupees (₹100/-) for domestic connections and two hundred rupees (₹200/-) for GHS/institutional/commercial/industrial connections, respectively.

5. In case of change of connection type from domestic to commercial/industrial, the connection shall be converted into the new category by concerned Sub Divisional Engineer of Public Health Engineering Department or municipal authorities. The additional fees (i.e., difference of fees of domestic & commercial/ industrial) shall be charged in the subsequent bill.

6. If any unauthorized/illegal water or sewer connection is detected by the Public Health Engineering Department or municipal authorities the same shall be disconnected immediately and penalty of ₹ 500/- shall be imposed on the consume₹ Such default connections shall be restored only after depositing of entire amount of penalty along with the required fees as applicable for new connection.

Other terms and conditions:

1. The waste water charges shall be levied in all areas where sewerage system exists irrespective whether the consumer has taken sewer connection or not.

2. No new unmetered domestic connections shall be allowed.

3. The water and sewerage fees shall be paid by the consumers within thirty (30) days from the issue of the bills.

4. Where the water and sewerage fees amounts are not paid within the due date, then surcharge/penalty at the rate of ten percent (10%) shall be levied on current bill for first 15 days. Thereafter, surcharge/penalty at the rate of fifty percent (50%) shall be levied if due amount is not paid within three (3) months and if due amount is not paid within six (6) months, then surcharge/penalty at the rate of hundred percent (100%) shall be levied and the connection shall be disconnected immediately. Further, disconnection fee at the rate of one thousand rupees (₹ 1000/-) per connection shall be charged. All arrears shall be added in property tax bill.

5. The department shall supply the water at ground level only, electric pumps/booster installed directly on water supply line to enhance the capacity of water shall not be allowed to any consumer. Wherever the electric pumps/booster installed directly on water supply line are detected a penalty of five hundred rupees (₹500/-) shall be levied. It shall be directed by the concerned authorities to all consumers through wide publicity that electric pumps/booster installed directly on water supply line to enhance the capacity of water shall be confiscated and supply to the defaulting consumer shall be disconnected immediately.

6. A water supply or sewer connection shall be charged at institutional, commercial, or industrial rates as deemed fit, if any, related activity even in residential areas is being undertaken by the occupant. However, levy of commercial, institutional or industrial rates for the water supply or sewer connection shall not confer any right to the occupant to get the advantage of being treated as commercial, institutional or industrial premises by any other government agency or department in any way.

7. In case of any dispute in respect of water/sewerage bill, the consumer shall approach the concerned Executive Engineer for dispute redressal by paying fifty percent (50%) of the disputed amount along with the application. The application, not accompanied by the proof of deposit of fifty percent (50%) amount, shall be rejected. The Executive Engineer shall convey his decision within a period of thirty (30) days after giving due opportunity of hearing to the applicant.

8. The consumer can file an appeal to the concerned Superintending Engineer, within thirty days of issue of the order of dispute redressed by the Executive Engineer, provided the consumer paid fifty percent (50%) of the disputed amount. The decision of Superintending Engineer shall be final and binding on both parties.

9. Public Health Engineering Department/Haryana Shehri Vikas Pradhikaran/ Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation shall continue to look after the work of Operation and Maintenance of water supply, sewerage and storm water system in the urban areas under various Municipal Corporations/Councils and Committees except for areas where the work of Operation and Maintenance of water supply, sewerage and storm water system is being maintained by the concerned Municipality.

10. Any insanitary connection, if detected by the department, shall be disconnected immediately without giving any notice and shall be restored only after necessary rectification by consumer and a fee of five hundred rupees (₹500/-) shall be charged as fine or penalty in such cases.

11. The house water connections shall be released at site by staff of Public Health Engineering Department or Municipal Authorities, as the case may be, at its own level or is to be released through plumbers registered by Public Health Engineering Department/Municipal Authorities to ensure 100% metering and sanctioned ferrule size. The list of registered plumbers shall be displayed by the concerned authorities along with fees to be charged by plumber, on its website. All the material to be used for making connection and labour involved shall be arranged by the consumer separately.

12. Water connections for institutional/industrial/commercial are allowed only for drinking, cooking, bathing, washing utensils and house, ablution/ toilets and washing of clothes etc. and not for other processes.

13. Private water connections shall be provided only in the area, where distribution system exists, and sufficient drinking water is available. No water connection shall be allowed from the rising mains of the water supply system.

14. The meters, to be installed should be of specifications IP 68, ISI marked or as specified by the State Government/Municipal authorities from time to time.

15. If the ownership of the floors in a house is separate and if separate electricity connections exist for different floors, then water connections should also be provided separately for each floor.

16. In case of sewer connection to the industry, the consumer shall ensure that the effluent discharged in the sewerage system meets the latest prescribed standards of Haryana State Pollution Control Board/Central Pollution Control Board. No industrial unit shall be allowed to discharge industrial waste in sewerage system. In case of default, the sewer connection shall be disconnected, and action shall be taken as per provisions of the Municipal Acts and the Environmental (Protection) Act, 1986 (Central Act 29 of 1986) by considering it as an illegal activity.

17. Dual plumbing systems are recommended for group housing societies to promote treated water reuse.

18. For all types of premises, water shall be supplied only up to the ground level, irrespective of the type of usage.

19. No charges shall be levied for the installation of public-use water coolers/pyaus established by NGOs or any other private entity, provided that such facilities are made available to the public free of cost.

Note:- The order regarding revision of water fees shall come into effect after six month from the date of publication of this order in the official Gazette.

ASHOK KUMAR MEENA,
Commissioner and Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.

12788—C.S.—H.G.P., Pkl.

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 125-2026/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, AUGUST 18, 2026 (SRAVANA 27, 1948 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

आदेश

दिनांक 18 अगस्त, 2026

No. 9/64/2026–4C–II.— हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) की धारा 88 की उप–धारा (1) के खण्ड (vii) और उप–धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, आदेश संख्या 14/2/2011–3C–II, दिनांक 9 मार्च, 2011, अधिसूचना संख्या 14/2/2015–3C–II, दिनांक 11 मार्च, 2015 तथा आदेश संख्या 14/11/2015–3C–II, दिनांक 22 जनवरी, 2016 के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, आदेश करते हैं कि हरियाणा राज्य के नगरनिगम क्षेत्रों में निम्नलिखित फीस प्रभारित की जाएगी, अर्थात्:–

क्रम संख्या	उपभोक्ताओं का प्रवर्ग	जल दर	
		मासिक खपत (किलोलीटर)	दर (रुपए में)
1	2	3	4
1.	**घरेलू (मीटर–युक्त जलापूर्ति)**	10 किलोलीटर तक	3/– रुपए प्रति किलोलीटर (500 वर्ग गज तक के प्लॉट साइज वाले तथा मीटर युक्त कनेक्शन रखने वाले परिवारों पर कोई प्रभार लागू नहीं होगा।)
		10 किलोलीटर से अधिक तथा 20 किलोलीटर तक	6/– रुपए प्रति किलोलीटर
		20 किलोलीटर से अधिक तथा 30 किलोलीटर तक	9.50/– रुपए प्रति किलोलीटर
		30 किलोलीटर से अधिक	12/– रुपए प्रति किलोलीटर

2.	**घरेलू (बिना मीटर जलापूर्ति)**	50 वर्ग मीटर तक के प्लॉट साइज हेतु	175/– रुपए प्रतिमास
		50 वर्ग मीटर से अधिक तथा 100 वर्ग मीटर तक के प्लॉट साइज हेतु।	350/– रुपए प्रतिमास
		100 वर्ग मीटर से अधिक तथा 200 वर्ग मीटर तक के प्लॉट साइज हेतु।	870/– रुपए प्रतिमास
		200 वर्ग मीटर से अधिक के प्लॉट साइज हेतु, प्रत्येक 100 वर्ग मीटर की वृद्धि पर 700/– रुपए अतिरिक्त प्रभार।	
3.	**घरेलू समूह आवास सोसाइटी (मीटर युक्त जलापूर्ति)**	प्रथम 20 किलोलीटर हेतु	6/– रुपए प्रति किलोलीटर
		20 किलोलीटर से अधिक हेतु	12/– रुपए प्रति किलोलीटर
	घरेलू समूह आवास सोसाइटी (बिना मीटर जलापूर्ति)	अनुमति नहीं *	
4.	**संस्थाओं / औद्योगिक/ वाणिज्यिक में जलापूर्ति (मीटर युक्त जलापूर्ति)**	25 किलोलीटर तक	20/– रुपए प्रति किलोलीटर
		25 किलोलीटर से अधिक और 50 किलोलीटर तक	25/– रुपए प्रति किलोलीटर
		50 किलोलीटर से अधिक और 100 किलोलीटर तक	30/– रुपए प्रति किलोलीटर
		100 किलोलीटर से अधिक	35/– रुपए प्रति किलोलीटर
	संस्थाओं / औद्योगिक/ वाणिज्यिक में जलापूर्ति (बिना मीटर जलापूर्ति)	अनुमति नहीं*	
5.	**सीवरेज प्रभार/सेवाएं**		
क	**घरेलू तथा समूह आवास सोसाइटियों में सीवरेज प्रभार**	जल बिल का 25%	
ख	**संस्थागत/ वाणिज्यिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों में सीवरेज प्रभार**	जल बिल का 25%	
6.	**कनेक्शन फीस (एक बार, अप्रतिदेय)**		
	उपभोक्ता का प्रवर्ग	**कनेक्शन का प्रकार**	**प्रस्तावित फीस (रुपए में)**
(क)	**घरेलू**	नया जलापूर्ति कनेक्शन	1000–/रुपए प्रति कनेक्शन
		नया सीवर कनेक्शन	500–/रुपए प्रति कनेक्शन

(ख)	घरेलू समूह आवास सोसायटी	नया जलापूर्ति कनेक्शन	5000–/रुपए प्रति कनेक्शन
		नया सीवर कनेक्शन	5000–/रुपए प्रति कनेक्शन
(ग)	औद्योगिक/ वाणिज्यिक / संस्थागत उपभोक्ता	नया जलापूर्ति कनेक्शन	5000–/रुपए प्रति कनेक्शन
		नया सीवर कनेक्शन	5000–/रुपए प्रति कनेक्शन

टिप्पण :–

1. दरों में प्रति वर्ष पूर्ववर्ती वर्ष की लागू दरों पर पांच प्रतिशत (5%) की वार्षिक वृद्धि की जाएगी। मीटर युक्त घरेलू आपूर्ति हेतु उपर्युक्त दर स्लैब, वृद्धिशील खपत आधार पर लागू होती हैं, अर्थात् प्रत्येक स्लैब की दर केवल उस स्लैब के अंतर्गत खपत किए गए जल की मात्रा पर ही लागू होगी न कि संपूर्ण खपत पर।

   (क) इस प्रकार प्राप्त बढ़ी हुई दरों को 5/– रुपए तक की दरों के लिए आगामी उच्चतर 20 पैसे स्लैब में पूर्णांकित किया जाएगा;

   (ख) इस प्रकार प्राप्त बढ़ी हुई दरों को 5/–रुपए से अधिक तथा 10/–रुपए तक की दरों के लिए आगामी उच्चतर 50 पैसे स्लैब में पूर्णांकित किया जाएगा;

   (ग) इस प्रकार प्राप्त बढ़ी हुई दरों को 10/– रुपए से अधिक की दरों के लिए आगामी उच्चतर एक रुपए स्लैब में पूर्णांकित किया जाएगा।

2. 500 वर्ग गज तक के प्लॉट साइज वाले परिवारों के लिए प्रति मास 10 किलोलीटर तक की निःशुल्क जल सुविधा केवल मीटर युक्त कनेक्शनों पर ही लागू होगी।

3. बढ़ी हुई दरें प्रति वर्ष प्रथम जनवरी (अर्थात् कैलेंडर वर्ष) से लागू होंगी। सभी मामलों में बिलिंग चक्र प्रथम जनवरी से द्विमासिक होगा।

4. यदि घरेलू कनेक्शन का दुरुपयोग, वाणिज्यिक/औद्योगिक/संस्थागत प्रयोजन हेतु किया जाना पाया जाता है, तो उसे तत्काल प्रभाव से काट दिया जाएगा तथा चूककर्ता पर 500/– रुपए की शास्ति अधिरोपित की जाएगी।

5. यदि जल मीटर खराब हो जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी को आवेदन देकर उसे ठीक करवाना उपभोक्ता का उत्तरदायित्व होगा। नोटिस जारी होने की तिथि को मीटर के "खराब" होने की आधिकारिक तिथि माना जाएगा। उस अवधि के दौरान उपभोक्ता से पिछले तीन मास के बिलों के औसत के आधार पर प्रभार वसूला जाएगा।

6. यदि नोटिस की तिथि से दो मास से अधिक अवधि तक मीटर खराब रहता है, तो जलापूर्ति को "बिना मीटर" माना जाएगा तथा तदनुसार संगत प्रभार उद्गृहीत किए जाएंगे। यदि बिना मीटर आपूर्ति की अनुमति नहीं है, तो जल कनेक्शन काट दिया जाएगा।

परिभाषाएं:–

1. **"किलोलीटर (के.एल.)"** से अभिप्राय है, एक किलोलीटर, जो 1000 (एक हजार) लीटर जल के बराबर है;

2. **"घरेलू उपभोक्ता"** में ऐसे उपभोक्ता शामिल हैं, जो किसी ऐसे भवन में निवास करते हैं, जिसमें आवासीय प्रयोजनों हेतु सोने तथा रहने की व्यवस्था तथा भोजन पकाने की सुविधा उपलब्ध हो और इसमें एक अथवा एक से अधिक पारिवारिक निवास, आवासीय अपार्टमेंट तथा ऐसे भवन के अधिभोगियों द्वारा प्रयुक्त गैरेज भी शामिल हैं;

3. **"समूह आवास उपभोक्ता"** से अभिप्राय है, ऐसा उपभोक्ता, जो आवासीय प्रयोजन हेतु फ्लैटों के रूप में डिजाइन तथा विकसित भवन में अथवा समूह आवास से संबद्ध किसी भवन में निवास करता है;

4. **"संस्थागत उपभोक्ता"** में ऐसे उपभोक्ता शामिल हैं, जो किसी ऐसे भवन का उपयोग करते हैं/स्वामी हैं, जो केवल किसी विद्यालय, महाविद्यालय, प्रशिक्षण/अनुसंधान संस्थान, व्यावसायिक संस्थान तथा विश्वविद्यालय के लिए प्रयुक्त किये जाते हो, जिसमें परिसर में निवास हेतु आवश्यक अमले के आवास तथा ऐसी शैक्षणिक संस्था के परिसर में उससे संबद्ध छात्रावास के रूप में प्रयुक्त भवन भी शामिल हैं। सरकार, अर्ध–सरकारी संगठन अथवा पंजीकृत न्यास/सोसाइटी द्वारा निर्मित तथा शारीरिक अथवा मानसिक बीमारी, रोग या दुर्बलता से पीड़ित व्यक्तियों के चिकित्सा अथवा अन्य उपचार और देखभाल, अनाथों, दिव्यांगजनों, परित्यक्त महिलाओं, बच्चों तथा शिशुओं, स्वास्थ्यलाभ कर रहे व्यक्तियों, निराश्रित अथवा वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल हेतु तथा सामान्यतः सोने की व्यवस्था प्रदान करने वाले दंडात्मक अथवा सुधारात्मक निरोध, जहां निवासियों की स्वतंत्रता सीमित हो, हेतु प्रयुक्त भवन भी इसमें शामिल हैं। इसमें सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, देशभक्तिपूर्ण तथा संबद्ध गतिविधियों

हेतु सभागार अथवा परिसर, धर्मशाला, अस्पताल, सेनेटोरियम, हॉस्पिस, सभा भवन, सिटी हॉल, टाउन हॉल, प्रदर्शनी भवन, संग्रहालय, पूजा स्थल, अभिरक्षा तथा दांडिक संस्थाएं जैसे जेल, कारागार, सरकारी कार्यालय, सचिवालय, सड़क अथवा रेल अथवा वायु अथवा समुद्री अथवा अन्य सार्वजनिक परिवहन स्टेशन आदि भी शामिल होंगे;

5. **"औद्योगिक उपभोक्ता"** में ऐसे उपभोक्ता शामिल हैं, जो किसी ऐसे भवन अथवा उसके किसी भाग का उपयोग करते हैं/स्वामी हैं, जिसमें उत्पादों अथवा सामग्री का निर्माण, संयोजन अथवा प्रसंस्करण किया जाता है, जैसा कि हरियाणा भवन संहिता, 2017 में उल्लिखित है, हरियाणा सरकार का असेंबली संयंत्र, कोल्ड स्टोरेज, प्रयोगशाला, विद्युत संयंत्र, रिफाइनरी, गैस संयंत्र, मिल, डेयरी तथा फैक्टरी इत्यादि;

6. **"वाणिज्यिक उपभोक्ता"** में ऐसे उपभोक्ता शामिल है, जो किसी ऐसे भवन, परिसर अथवा उसके किसी भाग का उपयोग करते हैं/स्वामी हैं, जो थोक अथवा फुटकर वस्तुओं या माल के प्रदर्शन और विक्रय हेतु दुकानों, स्टोरों अथवा बाजार के रूप में प्रयुक्त हो, जिसमें कार्यालय, रेस्तरां, बैंक्वेट हॉल, होटल, मोटल, रिजॉर्ट, ढाबा, बोर्डिंग हाउस, गेस्ट हाउस, मनोरंजन पार्क, कार्यालय प्रतिष्ठान तथा उसी भवन में स्थित उससे संबद्ध सेवा सुविधाएं शामिल हैं। इसमें सॉफ्टवेयर विकास गतिविधियों तथा सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं और/अथवा सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी विनिर्माण हेतु भवन भी शामिल है।

अन्य फीस/प्रभारः

1. मीटर युक्त कनेक्शनों के लिए, खपत की मात्रा पर ध्यान दिए बिना, वाणिज्यिक/संस्थागत हेतु 500/– रुपए (पांच सौ रुपए) प्रति कनेक्शन तथा औद्योगिक इकाइयों हेतु 1000/–रुपए (एक हजार रुपए) की दर से न्यूनतम मासिक बिल प्रभारित किया जाएगा।

2. नगरनिगम क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले गांवों में जलापूर्ति कनेक्शन हेतु घरेलू/सामूहिक आवास समिति/वाणिज्यिक/औद्योगिक जल कनेक्शनों की जल और सीवरेज दरें नगरनिगम क्षेत्र हेतु लागू दरों के समान ही वसूल की जाएंगी।

3. घरेलू उपयोग हेतु 10 मिलीमीटर व्यास से अधिक की फैरूल वाला कोई जल कनेक्शन अनुमत नहीं होगा। यदि फैरूल का आकार 10 मिली मीटर से अधिक पाया जाता है, तो जल कनेक्शन काट दिया जाएगा तथा चूककर्ता पर 500/–रुपए (पॉच सौ रुपए) प्रति कनेक्शन की शास्ति अधिरोपित की जाएगी। सामूहिक आवास समिति/संस्थागत/वाणिज्यिक/औद्योगिक कनेक्शनों के मामले में, संबंधित प्राधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार 10 मिलीमीटर व्यास से अधिक की फैरूल की अनुमति दी जा सकती है।

4. घरेलू कनेक्शनों हेतु क्रमशः 100/– रुपए (एक सौ रुपए) तथा सामूहिक आवास समिति/संस्थागत/वाणिज्यिक/औद्योगिक कनेक्शनों हेतु 200/– रुपए (दो सौ रुपए) की दर से मीटर परीक्षण तथा सीलिंग प्रभार प्रभारित किए जाएंगे।

5. यदि कनेक्शन के प्रकार में घरेलू से वाणिज्यिक/औद्योगिक में परिवर्तन किया जाता है, तो संबंधित उप–मंडल अभियंता/सहायक अभियंता/पालिका अभियंता द्वारा कनेक्शन को नए प्रवर्ग में परिवर्तित किया जाएगा। अतिरिक्त फीस (अर्थात् घरेलू एवं वाणिज्यिक/औद्योगिक फीस का अंतर) आगामी बिल में प्रभारित की जाएगी।

6. यदि जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग अथवा नगर निगम प्राधिकारियों द्वारा कोई अनधिकृत/अवैध जल अथवा सीवर कनेक्शन पाया जाता है, तो उसे तत्काल काट दिया जाएगा तथा उपभोक्ताओं पर 500/– रूपये की शास्ति अधिरोपित की जाएगी। ऐसे डिफॉल्ट कनेक्शनों को केवल नए कनेक्शन हेतु यथा लागू आवश्यक फीस सहित शास्ति की पूरी राशि जमा करने के पश्चात ही बहाल किया जाएगा।

अन्य निबन्धन तथा शर्तेः–

1. अपशिष्ट जल प्रभार, उन सभी क्षेत्रों में उद्गृहीत किए जाएंगे, जहां सीवरेज प्रणाली उपलब्ध है, चाहे उपभोक्ता ने सीवर कनेक्शन लिया हो अथवा नहीं।

2. बिना मीटर के किसी भी नए घरेलू कनेक्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3. जल तथा सीवरेज उपयोगकर्ता फीस, उपभोक्ताओं द्वारा बिल जारी होने की तिथि से तीस दिन के भीतर भुगतान किए जाएंगे।

4. यदि जल तथा सीवरेज उपयोगकर्ता फीस की राशि नियत तिथि के भीतर जमा नहीं की जाती है, तो प्रथम पन्द्रह दिन के लिए चालू बिल पर 10% (दस प्रतिशत) की दर से अधिभार/शास्ति उद्गृहीत की जाएगी। इसके पश्चात, यदि देय राशि तीन मास के भीतर जमा नहीं की जाती है तो 50% (पचास प्रतिशत) की दर से तथा यदि देय राशि छह मास के भीतर जमा नहीं की जाती है तो 100% (सौ प्रतिशत) की दर से अधिभार/शास्ति उद्गृहीत की जाएगी और कनेक्शन तत्काल काट दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, 1000/–रुपए (एक हजार रुपए) प्रति कनेक्शन की दर से डिस्कनेक्शन फीस प्रभारित की जाएगी। समस्त बकाया राशि संपत्ति कर बिल में जोड़ दी जाएगी।

5. विभाग द्वारा केवल भूतल स्तर पर ही जलापूर्ति की जाएगी। जल आपूर्ति क्षमता बढ़ाने हेतु जल आपूर्ति लाइन पर सीधे लगाए गए विद्युत पंप/बूस्टर की किसी भी उपभोक्ता को अनुमति नहीं होगी। जहां कहीं भी जल आपूर्ति लाइन पर सीधे लगे विद्युत पंप/बूस्टर पाए जाएंगे, वहां 500/–रुपए (पाँच सौ रुपए) की शास्ति अधिरोपित की जाएगी । संबंधित प्राधिकारियों द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार के माध्यम से समस्त उपभोक्ताओं को यह निर्देशित किया जाएगा कि जल आपूर्ति क्षमता बढ़ाने हेतु जल आपूर्ति लाइन पर सीधे लगाए गए विद्युत पंप/बूस्टर जब्त कर लिए जाएंगे तथा चूककर्ता उपभोक्ता की आपूर्ति तत्काल काट दी जाएगी।

6. यदि आवासीय क्षेत्रों में भी अधिभोगी द्वारा कोई संबंधित गतिविधि संचालित की जा रही है, तो जल आपूर्ति अथवा सीवर कनेक्शन पर, संस्थागत, वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक दरें, जो उचित समझी जाए, प्रभारित की जाएंगी। तथापि, जल आपूर्ति अथवा सीवर कनेक्शन पर वाणिज्यिक, संस्थागत अथवा औद्योगिक दरें उद्गृहीत किए जाने मात्र से अधिभोगी को किसी भी अन्य सरकारी अभिकरण अथवा विभाग द्वारा उसे वाणिज्यिक, संस्थागत अथवा औद्योगिक परिसर के रूप में माने जाने का लाभ प्राप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

7. जल/सीवरेज बिल के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में, उपभोक्ता को विवादित राशि के 50% (पचास प्रतिशत) का भुगतान आवेदन के साथ करते हुए, विवाद निवारण हेतु संबंधित कार्यकारी अभियंता से संपर्क करना होगा। 50% (पचास प्रतिशत) राशि जमा करने के प्रमाण के बिना दिया गया आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। कार्यकारी अभियंता, आवेदक को सुनवाई का सम्यक् अवसर प्रदान करने के पश्चात, तीस दिन की अवधि के भीतर अपना निर्णय सूचित करेंगे।

8. उपभोक्ता, कार्यकारी अभियंता द्वारा विवाद निवारण संबंधी आदेश जारी होने की तिथि से तीस दिन के भीतर, संबंधित अधीक्षण अभियंता के समक्ष अपील दायर कर सकता है, बशर्ते कि उपभोक्ता ने विवादित राशि के 50% (पचास प्रतिशत) का भुगतान किया हो। अधीक्षण अभियंता का निर्णय अंतिम होगा तथा दोनों पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

9. जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग/हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण/ हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम विभिन्न नगर निगमों के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति, सीवरेज एंव बरसाती जल प्रणाली के परिचालन तथा रखरखाव का कार्य करते रहेंगे, सिवाय उन क्षेत्रों के जहां जलापूर्ति, सीवरेज एंव बरसाती जल प्रणाली के परिचालन तथा रखरखाव का कार्य संबंधित नगरनिगम द्वारा किया जा रहा है।

10. यदि विभाग द्वारा कोई अस्वच्छ कनेक्शन पाया जाता है, तो उसे बिना कोई सूचना दिए तत्काल काट दिया जाएगा तथा उपभोक्ता द्वारा आवश्यक सुधार किए जाने के पश्चात ही उसे बहाल किया जाएगा और ऐसे मामलों में 500/–रुपए (पाँच सौ रुपए) की फीस जुर्माने अथवा शास्ति के रूप में प्रभारित की जाएगी।

11. गृह जल कनेक्शन, यथास्थिति, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग अथवा नगरनिगम प्राधिकारियों के अमले द्वारा स्वयं अपने स्तर पर स्थल पर जारी किए जाएंगे अथवा 100% मीटरिंग तथा स्वीकृत फैरूल आकार सुनिश्चित करने हेतु जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग/ नगरनिगम प्राधिकारियों द्वारा पंजीकृत प्लंबरों के माध्यम से जारी किए जाएंगे। संबंधित प्राधिकारियों द्वारा पंजीकृत प्लंबरों की सूची, प्लंबर द्वारा ली जाने वाली फीस सहित, अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। कनेक्शन बनाने हेतु प्रयुक्त होने वाली समस्त सामग्री तथा श्रम की व्यवस्था उपभोक्ता द्वारा अलग से की जाएगी।

12. संस्थागत/औद्योगिक/वाणिज्यिक हेतु जल कनेक्शन केवल पानी पीने, भोजन पकाने, स्नान करने, बर्तन एवं घर, शौचालय की सफाई करने तथा कपड़े धोने आदि हेतु ही अनुमत हैं, किसी अन्य प्रक्रिया हेतु नहीं।

13. निजी जल कनेक्शन केवल उन्हीं क्षेत्रों में दिए जाएंगे जहां वितरण प्रणाली उपलब्ध है तथा पर्याप्त पेयजल उपलब्ध है। जलापूर्ति प्रणाली की राइजिंग मेन से किसी भी जल कनेक्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

14. लगाए जाने वाले मीटर आईपी 68 विनिर्देश, आईएसआई चिह्नित अथवा राज्य सरकार/ नगरनिगम प्राधिकारियों द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट के अनुसार होने चाहिए।

15. यदि किसी मकान की मंजिलों का स्वामित्व अलग–अलग है तथा विभिन्न मंजिलों हेतु पृथक विद्युत कनेक्शन उपलब्ध हैं, तो प्रत्येक मंजिल हेतु जल कनेक्शन भी अलग–अलग प्रदान किए जाने चाहिए।

16. उद्योग को सीवर कनेक्शन दिए जाने की स्थिति में, उपभोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि सीवरेज प्रणाली में छोड़ा गया बहिःस्राव हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नवीनतम निर्धारित मानकों को पूरा करता हो। किसी भी औद्योगिक इकाई को सीवरेज प्रणाली में औद्योगिक अपशिष्ट छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। चूक के मामले में, इसे अवैध गतिविधि मानते हुए सीवर कनेक्शन काट दिया जाएगा तथा नगरनिगम अधिनियमों तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम 29) के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

17. उपचारित जल के पुनः उपयोग को बढ़ावा देने हेतु समूह आवास सोसाइटियों के लिए द्वि–प्लंबिंग प्रणाली अपनाए जाने की संस्तुति की जाती है।

18. सभी प्रकार के परिसरों हेतु, उपयोग के प्रकार पर ध्यान दिए बिना, जल केवल भूतल स्तर तक ही आपूर्ति किया जाएगा।

19. गैर–सरकारी संगठनों अथवा किसी अन्य निजी संस्था द्वारा स्थापित सार्वजनिक उपयोग हेतु वाटर कूलर/प्याऊ की स्थापना पर कोई भी प्रभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा, बशर्ते ऐसी सुविधाएं जनता को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएं।

टिप्पणः–

जल फीस पुनरीक्षण संबंधी आदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से छह मास के बाद लागू होगा।

अशोक कुमार मीणा,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Order

The 18th August, 2026

No. 9/64/2026-4C-II.— In exercise of the powers conferred under clause (vii) of sub-sections (1) and (2) of section 88 of Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994) and in supersession of Haryana Government Urban Local Bodies Department order No. 14/2/2011-3C-II, dated the 9th March, 2011, Notification No. 14/2/2015-3C-II, dated the 11th March, 2015 and order No.14/11/2015-3C-II, dated the 22nd January, 2016, the Governor of Haryana hereby orders that the following fees shall be charged in the Municipal area of the State of Haryana, namely :-

Serial Number	**Categories of Consumers**	**Water charges**	
		Monthly consumption (Kilolitre)	**Rate**
1	**2**	**3**	**4**
1.	**Domestic (Metered water supply)**	Up to 10 KL	₹3/- per KL (No charges shall be applicable for families owning plot sizes up to 500 sq. yards and having metered connections.)
		Above 10 KL and upto 20 KL	₹6/- per KL
		Above 20 KL and upto 30 KL	₹9.50/- per KL
		Above 30 KL	₹12/- per KL
2.	**Domestic (Unmetered water supply)**	For plot size upto 50 Sqm	₹ 175/- per month
		For plot size above 50 Sqm upto 100 Sqm.	₹ 350/- per month
		For plot size above 100 Sqm upto 200 Sqm.	₹ 870/- per month
		For plot size above 200 Sqm, additional charges of ₹ 700/- for increase in plot size of every 100 Sqm.	

3.	**Domestic Group Housing Societies (Metered water supply)**	For 1st 20 KL	₹ 6/-per KL
		Above 20 KL	₹ 12/-per KL
	Domestic Group Housing Societies (Unmetered water supply)	Not allowed *	
4.	**Water supply in Institutions/ Industrial/ Commercial (Metered water supply)**	Up to 25 KL	₹20/- per KL
		Above 25 KL and upto 50 KL	₹25/- per KL
		Above 50 KL and upto 100 KL	₹30/- per KL
		Above 100 KL	₹35/- per KL
	Water supply in Institutions/ Industrial/ Commercial (Unmetered water supply)	Not allowed *	
5.	**Sewerage charges/Services**		
A	**Sewerage charges in domestic and Group Housing Societies**	25% of water bills	
B	**Sewerage charges in institutional/ commercial & industrial areas**	25% of water bills	
6.	**Connection Fee** (one-time, Non-refundable)		
	Categories of Consumers	**Type of connection**	**charges**
(a)	**Domestic**	New water supply connection	₹1000/- per connection
		New Sewer connection	₹500/- per connection
(b)	**Domestic Group Housing Societies**	New water supply connection	₹5000/- per connection
		New Sewer connection	₹5000/- per connection
(c)	**Industrial/ Commercial/ Institutional consumer**	New water supply connection	₹5000/- per connection
		New Sewer connection	₹5000/- per connection

Note:-

1. Rates shall be increased at the rate of five percent (5%) annually from the applicable rate in the preceding year. The aforesaid tariff slabs for metered domestic supply are applied on an incremental consumption basis, i.e., each slab rate applies only to the quantity of water consumed within that slab and not to the entire consumption.

   (a) The increased rates so obtained shall be rounded off to next higher 20 paisa slab for rates upto ₹5/-,

(b) The increased rates so obtained shall be rounded off to next higher 50 paisa slab for rates above ₹5/- and upto ₹10/,

(c) The increased rates so obtained shall be rounded off to next higher one rupee slab for rates above ₹10/-.

2. The free water benefits of up to 10 KL per month for families with plot sizes up to 500 sq. yards shall be applicable only to metered connections.

3. The increased rates shall be applicable from 1st January every year (i.e., Calendar year). Billing cycle in all cases shall be bimonthly starting from 1st January.

4. In case, domestic connection is found being misused as commercial/industrial /institutional, the same shall be disconnected with immediate effect and a penalty of ₹ 500/- shall be imposed on the defaulter.

5. In case the water meter goes out of order, it shall be the consumer's responsibility to restore it by submitting an application to the competent authority. The date of issuance of the notice shall be treated as the official date of the meter being "out of order." The consumer shall be charged the average of last three months bills during that period.

6. If the meter remains out of order for more than two months from the date of notice, water supply shall be treated as "unmetered," and corresponding charges shall be levied accordingly. If unmetered supply is not permissible, the water supply connection shall be disconnected.

Definitions:-

1. **"KL (Kilolitre)"**- means one Kilolitre, which is equivalent to 1000 (one thousand) litres of water;

2. **"Domestic Consumers"**- includes consumers residing in a building in which sleeping and living accommodation is provided for residential purposes, with cooking facilities and includes one or more family dwellings, residential apartments and garages used by occupants of such building;

3. **"Group Housing Consumers"**- means a consumer residing in building designed and developed in the form of flats for residential purpose or any building ancillary to group housing;

4. **"Institutional Consumer"**- includes consumers using/owner of a building being exclusively used for a school, college, training/research institute, vocational institute & university including quarters for essential staff required to reside in the premises, and building used as a hostel captive to such educational institution in its campus. A building constructed by government, semi-government organization or registered trust/society and used for medical or other treatment and care for persons suffering from physical or mental illness, disease or infirmity, care of orphans, differently-abled persons, abandoned women, children and infants, convalescents, destitute or aged persons and for penal or correctional detention with restricted liberty of the inmates ordinarily providing sleeping accommodation. It shall also include an auditorium or complex for cultural, social, religious, patriotic and allied activities or for an hospice, assembly halls, city halls, town halls, exhibition halls, museums, places of worship, dharamshala, hospital, sanatoria, custodial and penal institutions such as jail, prison, government office, secretariat, road or railway or air or sea or other public transportation station, etc;

5. **"Industrial Consumer"**- includes consumers using/owner of a building or part thereof wherein products or material are fabricated, assembled or processed, such as The Haryana Building Code, 2017, Haryana Government assembly plant, cold storage, laboratory, power plant, refinery, gas plant, mill, dairy and factory etc;

6. **"Commercial Consumer"-** includes consumers using/owner of a building or complex or part thereof used as shops, stores or market for display and sale of wholesale and/or retail goods or merchandise, including Office, restaurant, banquet hall, hotel, motel, resort, dhaba, boarding house, guest house, amusement park, office establishments and service facilities incidental thereto and located in the same building. Includes building for software development activities, and IT enabled services and/or IT related manufacturing;

Other fees/ charges:

1. Minimum monthly bill at the rate of five hundred rupees (₹ 500/-) per connection for commercial/ institutional and at the rate of one thousand rupees (₹1000/-) for industrial units irrespective of the consumption for metered connections shall be charged.

2. For the water supply connection in the villages falling under the Municipal areas, the water and sewerage rates of domestic/GHS/commercial/industrial water connections shall be charged at the same rates as applicable for the municipal area.

3. No water connection with ferrule more than 10 mm dia. for domestic use shall be permissible. In case ferrule size is found to be more than 10 mm, water supply connection shall be disconnected and penalty of five hundred rupees (₹500/-) per connection be imposed on the defaulter. In case of GHS/institutional/commercial/industrial connections, ferrule more than 10 mm dia. may be allowed by the concerned authority as per requirement.

4. Meter testing and sealing charges shall be charged at the rate of one hundred rupees (₹100/-) for domestic connections and two hundred rupees (₹200/-) for GHS/institutional/commercial/industrial connections, respectively.

5. In case of change of connection type from domestic to commercial/industrial, the connection will be converted into the new category by concerned Sub Divisional Engineer/Assistant Engineer/Municipal Engineer. The additional fees (i.e., difference of fees of domestic & commercial/ industrial) shall be charged in the subsequent bill.

6. If any unauthorized/illegal water or sewer connection is detected by the Public Health Engineering Department or municipal authorities the same shall be disconnected immediately and penalty of ₹ 500/- shall be imposed on the consumes. Such default connections shall be restored only after depositing of entire amount of penalty along with the required fees as applicable for new connection.

Other terms and conditions:

1. The waste water charges shall be levied in all areas where sewerage system exists irrespective whether the consumer has taken sewer connection or not.

2. No new unmetered domestic connections shall be allowed.

3. The water and sewerage user charges shall be paid by the consumers within thirty (30) days from the issue of the bills.

4. Where the water and sewerage fees amounts are not paid within the due date, then surcharge/penalty at the rate of ten percent (10%) shall be levied on current bill for first 15 days. Thereafter, surcharge/penalty at the rate of fifty percent (50%) shall be levied if due amount is not paid within three (3) months and if due amount is not paid within six (6) months, then surcharge/penalty at the rate of hundred percent (100%) shall be levied and the connection will be disconnected immediately. Further, disconnection fee at the rate of one thousand rupees (₹ 1000/-) per connection shall be charged. All arrears shall be added in property tax bill.

5. The department shall supply the water at ground level only, electric pumps/booster installed directly on water supply line to enhance the capacity of water shall not be allowed to any consumer. Wherever the electric pumps/booster installed directly on water supply line are detected a penalty of five hundred rupees (₹500/-) shall be levied. It shall be directed by the concerned authorities to all consumers through wide publicity that electric pumps/booster installed directly on water supply line to enhance the capacity of water shall be confiscated and supply to the defaulting consumer shall be disconnected immediately.

6. A water supply or sewer connection shall be charged at institutional, commercial, or industrial rates as deemed fit, if any, related activity even in residential areas is being undertaken by the occupant. However, levy of commercial, institutional or industrial rates for the water supply or sewer connection shall not confer any right to the occupant to get the advantage of being treated as commercial, institutional or industrial premises by any other government agency or department in any way.

7. In case of any dispute in respect of water/sewerage bill, the consumer shall approach the concerned Executive Engineer for dispute redressal by paying fifty percent (50%) of the disputed amount along with the application. The application, not accompanied by the proof of deposit of fifty percent (50%) amount, shall be rejected. The Executive Engineer shall convey his decision within a period of thirty (30) days after giving due opportunity of hearing to the applicant.

8. The consumer can file an appeal to the concerned Superintending Engineer, within thirty days of issue of the order of dispute redressed by the Executive Engineer, provided the consumer paid fifty percent (50%) of the disputed amount. The decision of Superintending Engineer shall be final and binding on both parties.

9. Public Health Engineering Department/Haryana Shehri Vikas Pradhikaran /Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation shall continue to look after the work of Operation and Maintenance of water supply, sewerage and storm water system in the urban areas under various Municipal Corporations/Councils and Committees except for areas where the work of Operation and Maintenance of water supply, sewerage and storm water system is being maintained by the concerned Municipality.

10. Any insanitary connection, if detected by the department, shall be disconnected immediately without giving any notice and shall be restored only after necessary rectification by consumer and a fee of five hundred rupees (₹500/-) shall be charged as fine or penalty in such cases.

11. The house water connections shall be released at site by staff of Public Health Engineering Department or Municipal Authorities, as the case may be, at its own level or is to be released through plumbers registered by Public Health Engineering Department/Municipal Authorities to ensure 100% metering and sanctioned ferrule size. The list of registered plumbers shall be displayed by the concerned authorities along with fees to be charged by plumber, on its website. All the material to be used for making connection and labour involved shall be arranged by the consumer separately.

12. Water connections for institutional/industrial/commercial are allowed only for drinking, cooking, bathing, washing utensils and house, ablution/ toilets and washing of clothes etc. and not for other processes.

13. Private water connections shall be provided only in the area, where distribution system exists, and sufficient drinking water is available. No water connection shall be allowed from the rising mains of the water supply system.

14. The meters, to be installed should be of specifications IP 68, ISI marked or as specified by the State Government/Municipal authorities from time to time.

15. If the ownership of the floors in a house is separate and if separate electricity connections exist for different floors, then water connections should also be provided separately for each floor.

16. In case of sewer connection to the industry, the consumer shall ensure that the effluent discharged in the sewerage system meets the latest prescribed standards of Haryana State Pollution Control Board/Central Pollution Control Board. No industrial unit shall be allowed to discharge industrial waste in sewerage system. In case of default, the sewer connection shall be disconnected, and action shall be taken as per provisions of the Municipal Acts and the Environmental (Protection) Act, 1986 (Central Act 29 of 1986) by considering it as an illegal activity.

17. Dual plumbing systems are recommended for group housing societies to promote treated water reuse.

18. For all types of premises, water shall be supplied only up to the ground level, irrespective of the type of usage.

19. No charges shall be levied for the installation of public-use water coolers/pyaus established by NGOs or any other private entity, provided that such facilities are made available to the public free of cost.

Note:- The order regarding revision of water fees shall come into effect after six month from the date of publication of this order in the official Gazette.

ASHOK KUMAR MEENA,
Commissioner and Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.

12788—C.S.—H.G.P., Pkl.